*खुदरा भुगतान के मुख्य मुद्दे : अर्थशास्त्र, रणनीति और भावी नीतियाँ**

जी. पद्मनाभन

यहाँ उपस्थित होने पर मैं सम्मानित महसूस करता हूँ और यूरोपियन केंद्रीय बैंक तथा बैंके डि फ्रांस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण पैनल का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। मुझसे कहा गया है कि जिस विषय पर आज चर्चा की जा रही है,उसके तीन पहलुओं के संबंध मे मैं अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करूँऔर मैं क्रमानुसार ऐसा करने का प्रयास करूँगा।

I. वित्तीय मध्यस्थ और वित्तीय समावेशन किस प्रकार देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं?

1. जैसाकि ग्लोबल पेमेंट्स 2013[1] इंगित करता है हम एक ''दोहरी गति वाले विश्व'' का सामना कर रहे हैं, जहाँ तक भुगतान सबंधी कार्यकलापों का संबंध है। एक तो परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में और दूसरा उभरती या द्रुत गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में। यह दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के प्रति दो अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाये जाने की अपेक्षा रखता है।

2. विकसित अर्थव्यवस्थाएँ खुदरा भुगतान के संदर्भ में पहले ही बाजार परिपक्वता के स्तर पर पहुँच चुकी हैं और अब वे समाज में अपनी प्रासंगिकता की तलाश करते हुए इन प्रणालियों में दक्षता की दूसरी पीढ़ी की ओर नजर डाल रही हैं। तथापि, उभरते बाजारों के मामले में, खुदरा भुगतान नीतिगत रडार पर रहा है, क्योंकि हम नकदी और कागज आधारित भुगतान प्रक्रिया से अलग होने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः, इसके विकास के संबंध में स्वयं को 'पुनः समर्पित' करते रहे हैं, बनिस्बत इसके कि हम इसके महत्व की 'पुनः तलाश' करें। हमारी चुनौती यह रही है कि इन प्रणालियों को प्रत्येक प्रक्रम पर नवोन्मेष के साथ 'विकसित', 'समेकित' और 'अभिसरित' करने में समर्थ बनाया जाये।

3. अतः, भारत में हम कागज आधारित और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों, दोनों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। लेकिन द्रुत गति से हो रहे नवोन्मेष को महसूस करते हुए हमने निश्चय किया कि एक अलग संगठन की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाये- एक लाभ रहित संगठन, जिसे एनपीसीआइ (नैशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया) कहा गया है, जो भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए सहायक संगठन के रूप में होगा। यह संस्था अब भारत में खुदरा भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेष का नेतृत्व कर रही है और इसने अनेक उत्पाद और भुगतान सेवाएँ प्रारंभ की हैं, यथा, अंतर-परिचालनीय अंतर-बैंक मोबाइल पेमेंट्स, जिसमें निधियों का 24x7 आधार पर तत्काल अंतरण (आइएमपीएस- इम्मेडिएट पेमेंट्स सिस्टम), आधार (विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र, जो बायोमेट्रिक्स पर आधारित है) पर आधारित भुगतान, एक घरेलू कार्ड नेटवर्क रुपे, जिसका उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, यथा, वित्तीय समावेशन बढ़ाना, खाद्यान्न खरीद, किसानों को ऋण देना, आदि। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआइ ने आइएसओ अनुकूल नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) प्रणालियों को भी समर्थ बनाया है।

4. यह एक सर्व स्वीकृत तथ्य है कि एक अच्छी तरह काम करने वाली भुगतान प्रणाली मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान करती है और आर्थिक दक्षता को सुनिश्चित करती है। आप किस प्रकार 'अच्छी तरह काम करना' को परिभाषित करेंगे? उभरते बाजार के संदर्भ में, ऐसी प्रणाली को इन भुगतान पद्धतियों में उपयोगकर्ता का विश्वास उसी प्रकार सुनिश्चित करना चाहिए, जिस प्रकार उन्होंने नकदी लेन देन के संबंध में विश्वास सुनिश्चित किया है। 'अज्ञात का भय' हमेशा होता है। प्रारंभ में ही बुरा अनुभव होना उन्हें नकदी के उपयोग करने की ओर वापस ला सकता है। यह तो और भी बड़ी चुनौती है, जब हम वित्तीय रूप से वंचित लोगों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अपनाने का आग्रह कर रहे हैं।

5. इस बात को समझा जाना चाहिए कि वित्तीय समावेशन (एफआइ) को हाल के समय में नीतिगत पदानुक्रम में उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के आगमन ने किफायती और व्यवहार्य ढंग से वित्तीय उत्पादों तक पहुँच और उनकी सुपुर्दगी बढ़ाने में समर्थ बनाया है। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हमारा लक्ष्य है प्रौद्योगिकी-नीत वित्तीय समावेशन। बिजनेस करेसपौंडेंट (बीसी) इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि परंपरागत बैंक शाखाओं के व्यापन का अभाव वित्तीय बहिष्करण के चलते हुआ हो सकता है। भिन्न-भिन्न

---

* 21 अक्तूबर 2013 को पेरिस में संयुक्त यूरोपियन बैंक/बैंके डि फ्रांस सम्मेलन में पैनल चर्चा में श्री जी.पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक,. भारतीय रिजर्व बैंक, द्वारा की गयी टिप्पणियों का सार-संक्षेप।

[1] बीसीजी-एसडब्लूआइएफटी ''ग्लोबल पेमेंट्स 2013-गेटिंग बिजनेस मॉडल्स एक्जेक्यूशन राइट'', सितंबर 2013

देशों ने विभिन्न प्रकार के मॉडलों को अपनाया है, लेकिन किसी भी मॉडल में बिजनेस करेसपौंडेंट श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। पुनः, सभी देशों में वैकल्पिक भुगतान मॉडल एफआइ प्रयासों के प्रमाण-चिह्न होते हैं।

6. इस संबंध में विभिन्न अधय्यनों[2] ने यह दर्शाया है कि जिन ग्राहकों की द्रुत गति से और विश्वसनीय पहुँच भुगतान केंद्रों तक होती है और जो ग्राहक वैकल्पिक नकदी रहित भुगतान पद्धतियों का उपयोग करते हैं, उनकी प्रवृत्ति अपने खातों में अधिक समय तक अधिक निधियाँ रखे रहने की होती है। अतः, सुरक्षित, पहुँचयोग्य और दक्ष भुगतान सरणियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत मे यह बैंकिंग प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जब बचत और ऋण के स्प्रेड ऊँचे होते हैं। अतः वित्तीय समावेशन का बड़ा वाणिज्यिक अर्थ होता है। वस्तुतः, सीजीएपी रिपोर्ट[3] राष्ट्रीय आय पर जीडीपी की तुलना में बढ़ते जमा और उधार के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लाभकारी प्रभाव को भी आलोकित करती है।

7. जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, विभिन्न देशों ने वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भिन्न-भिन्न मॉड़लों को अपनाया है। पाकिस्तान ने एक तंत्र स्थापित किया है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से एक-से-दूसरे व्यक्ति तक निधि अंतरण बीसी का उपयोग करते हुए किया जाता है और इसमें खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती; ग्राहक की पहचान उसकी राष्ट्रीय पहचान और मोबाइल नंबर पर आधारित होती है। भारत में, जबकि बीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वित्तीय समावेशन का लक्ष्य न केवल धन-प्रेषण होता है, बल्कि इसका लक्ष्य बचत उत्पाद, कर्ज/ऋण उत्पाद, धन-प्रेषण उत्पाद और बीमा उत्पाद भी होता है। पुनः, बैंकिंग प्रणाली से बाहर किसी धन-प्रेषण उत्पाद के लिए आधार में देश में राष्ट्रीय पहचान प्रणाली को पहले से मान लिया जाता है।

8. एफआइ के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के बारे में कुछ शब्द। हम इस बात के लिए हमेशा सजग रहे हैं कि समाज के अल्प सुविधाप्राप्त वर्ग तक वित्तीय क्षेत्र की पहुँच को विस्तारित किया जाये। हमारे लिए वित्तीय समावेशन का लक्ष्य केवल धन-प्रेषण नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य बचत उत्पाद, कर्ज/ऋण उत्पाद, धन-प्रेषण उत्पाद और बीमा उत्पाद भी होता है। इस प्रकार भारत में हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय समावेशन में यह संभावना है कि यह बैंक सुविधा रहित जन साधारण को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर ले आये, बढ़ी हुई बचतों का कारण बने, बैंक सुविधा रहित जनसाधारण को समय पर ऋण प्रदान करे और ये सभी बहिर्मुखताएँ आर्थिक वृद्धि का कारण बनेंगी। सरकारी लाभ और आर्थिक सहायता को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे हिताधिकारियों के खातों में भेजना न केवल वितरण में रिसाव को रोकने में मदद करेगा, बल्कि इससे बैंकिंग की आदत भी बनेगी।

9. भारत ने एफआइ तक पहुँच कैसे बनायी है? हमने माँग और आपूर्ति, दोनों पक्षों की बाध्यताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एफआइ के प्रति एक सुनियोजित, योजनाबद्ध और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। हमने बैंकेतर संस्थाओं को अनुमति दी है कि वे अपने एफआइ उपक्रमणों के लिए बैंकों के साथ भागीदारी करें। प्रौद्योगिकी की प्रगति ने हमारे लिए इस बात को संभव बना दिया है कि हम वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नये और नवोन्मेषी तरीकों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए हाथ में पकड़े जाने वाले यंत्र, जिन्हें एजेंट दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग के घेरे में आकृष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी भी बैंकिंग सेवाओं के लिए लालायित लोगों तक पहुँच बनाने की चेष्टा कर रही है। वित्तीय संस्थाएँ नेटवर्क परिचालकों के साथ मिल कर उन लोगों को भी मोबाइल आधारित भुगतान सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं जिनका कोई बैंक खाता नहीं है।

10. मैं आपके समक्ष हमारे वित्तीय समावेशन उपक्रमणों[4] के संबंध में कुछ सांख्यिकी प्रस्तुत करता हूँ :

- मार्च 2013 तक गाँवों में 268,000 बैंकिंग आउटलेट स्थापित किये गये हैं, जबकि मार्च 2010 में 67,694 बैंकिंग आउटलेट स्थापित किये गये थे।
- इस अवधि के दौरान लगभग 7,400 ग्रामीण शाखाएँ खोली गयीं।
- लगभग 109 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) जोड़े गये हैं, जिससे बीएसबीडीए की कुल संख्या 182 मिलियन हो गयी। आइसीटी आधारित खातों

[2] बीसीजी-एसडब्लूआइएफटी ''ग्लोबल पेमेंट्स 2013-गेटिंग बिजनेस मॉडल्स एक्जेक्यूशन राइट'', सितंबर 2013; और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ''फाइटिंग पॉवर्टी प्रॉफिटेबली। ट्रांसफॉर्मिंग दि इकोनॉमिक्स ऑफ पेमेंट्स टू बिल्ड सस्टेनेबल, इनक्लूसिव फाइनैंशियल सिस्टम्स'', सितंबर 2013

[3] सीजीएपी ''फाइनैंशियल ऐक्सेस 2012'', जुलाई 2013

[4] ''फाइनैंशियल इन्क्लूजन इन इंडिया। जर्नी सो फार एंड वे फारवार्ड''। 6 सितंबर 2013 को सीएनबीसी टीवी 18, नई दिल्ली में आयोजित फाइनैंस इन्क्लूजन कॉन्क्लेव में डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

का हिस्सा काफी बढ़ गया है। कुल बीएसबीडीए की तुलना में आइसीटी खातों का प्रतिशत, जो मार्च 2010 में 25 प्रतिशत था, वह मार्च 2013 में बढ़ कर 45 प्रतिशत हो गया।

- इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र के 9.48 मिलियन परिवारों को जोड़े जाने से 33.8 मिलियन परिवारों को मार्च 2013 के अंत तक लघु उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया।
- इस अवधि के दौरान कृषीतर क्षेत्र के लगभग 2.25 मिलियन परिवारों को जोड़े जाने से 3.6 मिलियन परिवारों को मार्च 2013 के अंत तक लघु उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया।
- तीन वर्षीय अवधि के दौरान बीसी के माध्यम से लगभग 400 मिलियन लेन देन आइसीटी आधारित खातों में किये गये।

II. खुदरा भुगतान सेवाओं को घरेलू सीमा से बाहर तक ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और सिद्धांतों की प्रासंगिकता

11. मेरा यह सुविचारित मत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दीर्घ काल तक खुदरा भुगतान प्रणाली को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि इसके पीछे अनेक और प्रासंगिक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, खुदरा भुगतान प्रणालियाँ बहुत अधिक विषम होती हैं। तथापि, खुदरा भुगतान का बढ़ता महत्व, बढ़ती जटिलताएँ और प्रौद्योगिकी चालित भुगतान प्रणालियों को पुनः देखने की आवश्यकता है। पुनः, अधिकांश देशों में कुछ ऐसी खुदरा भुगतान प्रणालियाँ हैं, जो सर्वव्यापी प्रकृति की हैं और उनका प्रणालीव्यापी महत्व है। कम से कम भारत जैसे बड़े देश में हम ऐसी खुदरा भुगतान प्रणालियों को बारे में बात कर रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। मैं इस संबंध में कुछ संख्याएँ प्रस्तुत करता हूँ। हम दैनिक आधार पर लगभग 4.5 मिलियन चेकों का समाशोधन करते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति को लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण करते हैं, लगभग 1.5 मिलियन थोक भुगतानों का, अर्थात्, एक से अनेक को और अनेक से एक को भुगतानों का प्रबंध करते हैं। ये सभी बड़े परिमाण में कार्ड भुगतानों, इंटरनेट और मोबाइल लेन देनों के अतरिक्त होते हैं। हमारे पास खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए विकसित किये गये कुछ सिद्धांतों और मानकों के होने से हम निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में होंगे। मैं अपने तर्क के समर्थन में कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिनका संबंध खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से है।

12. कुछ खुदरा प्रणालियाँ हैं, जिनकी क्षेत्रपार मौजूदगी है। उदाहरण के लिए कार्ड पेमेंट्स, अंतरराष्ट्रीय धन-प्रेषण, पे-पाल, आदि।

13. कार्ड पेमेंट्स के मामले में, यह सामान्यतः अग्रणी ग्लोबल कार्ड नेटवर्क होता है, जो फॉर्म फैक्टर और सुरक्षा मानकों के लिए उद्योग के मानकों (ईएमवी चिप 2एफए) को निर्धारित करने में सक्रिय विनियामक हस्तक्षेप के बिना अगुआ बनता है। तथापि, इन मानकों का देशों के लिए निहितार्थ होता है- लागत और नये मानक की ओर जाने के संदर्भ में, घरेलू नेटवर्क पर प्रभाव (प्रमाणन की लागत, नये मानक/प्रौद्योगिकी तक पहुँच, आदि)। क्या मानक स्थापित करने में विनियामकों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संस्थाओं, दोनों के लिए समान अवसर क्षेत्र उपलब्ध हो?

14. अधिक मूल्य वाली भुगतान प्रणालियों के लिए, विनियामक अंतरपणन पर अंतरराष्ट्रीय सामान्य मानकों और सिद्धांतों के माध्यम से ध्यान दिये जाने का अनुरोध किया जाता है। इसी प्रकार की चिंता पर, जो प्रणाली-व्यापी महत्व की खुदरा प्रणालियों के लिए होती है, किस प्रकार ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान मानक या तो क्षेत्र-विशिष्ट या देश-विशिष्ट होते हैं? एक क्षेत्र, जहाँ सामान्य मानकों की काफी गुंजाइश है, वह है इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में सुरक्षा का क्षेत्र। उदाहरण के लिए एक बार फिर से कार्ड पेमेंट को लेते हुए, जबकि यूरोप में इएमवी मानक को कार्यान्वित किया जा चुका है, अमेरिका में अभी भी मैगस्ट्राइप से काम लिया जा रहा है।इसलिए यह भारत जैसे उभरते देशों को कहाँ ले जाकर छोड़ता है? हम इएमवी की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ समय तक मैगस्ट्राइप कार्ड बने रहेंगे। यद्यपि हमने मैगस्ट्राइप कार्डों के साथ 2एफए का प्रयोग करते हुए घरेलू तौर पर अपने कार्ड लेन देनों को दढ़ता प्रदान की है, फिर भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ मैगस्ट्राइप अभी तक प्रचलन में है, लेकिन बिना 2एफए अपेक्षाओं के। अतः न्यूनतम सुरक्षा मानकों को अपना कर इस प्रकार के अंतरपणन अवसरों पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

15. अंतरराष्ट्रीय धन-प्रेषण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किये गये अनेक प्रयासों के बावजूद (उदाहरण के लिए, विश्व बैंक ने कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं), धन-प्रेषण की लागत घटाने और एएमएल/एफएटीएफ मुद्दों पर ध्यान दिये जाने से संबंधित चुनौतियाँ (मानकों का अभाव, धन-प्रेषण करने वाले और धन प्राप्त करने वाले देशों के बीच विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं का उपयोग किया जा रहा है) अभी भी बनी हुई हैं। चूँकि

यह एक माना हुआ तथ्य है कि अंतरराष्ट्रीय धन-प्रेषण सीमापार भुगतान के लिए महत्वपूर्ण सरणी बनते हैं, और कुछ देशों के जीडीपी का प्रमुख भाग बनते हैं, अतः इस क्षेत्र में सामान्य मानकों और सिद्धांतों का होना एक स्वागत योग्य बात होगी।

16. खुदरा भुगतान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों का अभाव इन प्रणालियों के बीच अंतर-परिचालनीयता को भी प्रभावित कर सकता है- घरेलू स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर, दोनों पर। घरेलू स्तर पर, जो इस समय भारत में है, हम बैंकेतर और बैंक परिचालित भुगतान प्रणालियों में अंतर-परिचालनीयता का संवर्धन करने में एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। बैंकेतर संस्थाओं की पहुँच अंतर-बैंक भुगतान नेटवर्क में होने देने के संबंध में विचार करते समय जिन चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है वे हैं, फार्म फैक्टरों का मानकीकरण, संदेश फार्मैट का अभाव, पीसीआइ-डीएसएस जैसी कार्ड सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का नहीं अपनाया जाना, आदि।

17. इसके साथ ही भारत में, हमने उन फायदों को भी देखा है, जिसे अंतर-परिचालनीयता को सुविधाजनक बनाने और कुछ भुगतान प्रणालियों की वृद्धि में योगदान करने के लिए मानकीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में प्रारंभ में ही जारी किये गये मोबाइल बैंकिंग दिशा-निर्देशों में मोबाइल बैंकिंग संदेश फार्मैटों के लिए कुछ मानक निर्धारित कर दिये गये थे, ताकि लेन देनों में अंतर-परिचालनीयता सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हुए, एनपीसीआइ ने मोबाइल बैंकिंग के लिए आइएमपीएस को कार्यान्वित किया, जिससे देश में अंतर-परिचालनीय मोबाइल बैंकिंग लेन देन में सुविधा हुई। इसने मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हुए वर्तमान निधि अंतरण को 24x7 आधार पर करने के लिए अच्छा प्रोत्साहन दिया।

18. इसलिए, स्पष्ट रूप से कम से कम सीमापार भुगतान प्रणालियों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और सिद्धांतों को विकसित किये जाने का मामला बनता है। लेकिन मुद्दा यह होगा कि ऐसे मानकों को लागू कैसे किया जायेगा।

19. इसके उपरांत, अपने देश और मेजबान देश के विनियामक निर्धारणों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिसमें विनियामक अंतरपणन की अल्पतम गुंजाइश हो। इस मुद्दे के संबंध में मेरा अंतिम विचार यह है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सिद्धांतों के अतिरिक्त क्या अंतरराष्ट्रीय रूप से व्यापक खुदरा भुगतान आधारभूत संरचना के लिए 'सहकारी निरीक्षण' के लिए उपयुक्त समय आ गया है।

III. खुदरा भुगतान प्रणाली का नवोन्मेष करते समय कौन से प्रमुख विचारों को अपनाया जाना है?

20. इस प्रकार जब मैं विचार करता हूँ, तब पहला जो विचार मेरे मन में आता है, वह है इसीबी की पूर्व दृष्टि, जिसे उसने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को सुधारने के लिए न्यूनतम सुरक्षा सिफारिशों के संबंध में, जिसे 2015 तक कार्यान्वित किया जाना है, दस्तावेजों के प्रकाशन में दिखाई है। मैं इसीबी द्वारा आँकड़ा गुणवत्ता के संबंध में आरंभिक दिशा-निर्देशों को भी अभिस्वीकार करना चाहता हूँ। ये दानों उत्कृष्ट दस्तावेज हैं।

21. मेरे विचार से किसी केंद्रीय बैंक के लिए संक्षिप्त नियम यह है कि वह नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करे। लेकिन इससे पहले कि नवोन्मेष प्रणाली-व्यापी 'उत्पाद' बन जाये, मानकों को यथास्थान रखने की आवश्यकता होगी। अन्यथा इससे भी बड़े मुद्दे उभर कर सामने आयेंगे (उदाहरणार्थ वित्तीय क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग, पेमेंट गेटवे के लिए नियम, मोबाइल बैंकिंग या समर्थक एनएफसी आधारित भुगतान लिखतें कुछ उदाहरण हैं, जो मेरे मन में उठते हैं)। लेकिन, इस बात के लिए सजग रहें कि जो कुछ भी हंस के लिए अच्छा है, वह हंसिनी के लिए भी अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता (परिपक्व प्रणालियाँ बनाम उभरती प्रणालियाँ)।

22. नवोन्मेष की आवश्यकता और उस पर ध्यान देने में देशों के बीच महत्वपूर्ण रूप से अंतर हो सकता है- जिन देशों में विकसित/परिपक्व भुगतान प्रणालियाँ हैं और उन देशों में, जहाँ भुगतान प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं।

23. जबकि बचाव और सुरक्षा किसी नवोन्मेष को सहारा देते हैं, उभरती भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में नवोन्मेषों के लिए विचार पहुँचयोग्यता, उपलब्धता, यथेष्टता, आदि के इर्द-गिर्द चक्कर काट सकते हैं, जबकि परिपक्व/विकसित भुगतान बाजार में ध्यान भुगतान सरणियों और तत्काल भुगतान के अभिसरण की ओर दिया गया हो सकता है।

24. नवोन्मेष के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जो उभर रहा है, वह नवोन्मेषी भुगतान सेवाओं के विधिक एवं निरीक्षण के मुद्दों से संबध रखता है। दो उदाहरण ध्यान में आते हैं : (क) सत्याभासी मुद्राएँ और (ख) अन्य पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहक खातों तक पहुँच प्राप्त करना।

25. जब नवोन्मेष बैंकिंग डोमेन के बाहर होते हैं, अर्थात्, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंकेतर संस्थाओं का प्रवेश- तब कुछ मुद्दे उठते हैं। राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों तक बैंकेतर संस्थाओं की पहुँच, विनियम की सीमा, ग्राहक स्वामित्व और संरक्षण के मुद्दे, आँकड़ों की निजता और सुरक्षा।